

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 1127/2021

निर्णय दिनांक :- 26/11/2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

.....बि.प्र.गि।.....बनाम तहसीलदार.....देवली.....

उपस्थिति :-

.....जार्ज.....

तहसीलदार.....देवली.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

::: आदेश :::

प्रार्थी.....श्री. राजेश कुमार.....निवासी.....प्रशासन गांवो
के संघ 2021 केम्प/ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम.....
जमाबंदी सम्वत्.....2027.....के खाता संख्या.....122.....में दर्ज प्रार्थी का नाम.....ब.प्र.गि।
.....के स्थान पर.....बि.प्र.गि।.....
दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली
पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार.....से
कराई गई। तहसीलदार.....ने पटवार हल्का.....श.रा.सा.वा.र......व भू0अ0नि0.....2027.....की
रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशप्ता की।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली
गई। तहसीलदार.....से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन
किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का
स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप -6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:-
4(1)राज-6/2002/19 के तहत तहसीलदार.....को वाके ग्राम.....श.रा.सा.वा.र......जमाबंदी
सम्वत्.....2027.....के खाता संख्या.....122.....में दर्ज.....ब.प्र.गि।.....
.....के स्थान पर.....बि.प्र.गि।.....

दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति
तहसीलदार.....को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो
दाखिल कर्त हो।

निर्णय खुले सरे इजलास, कैम्प.....श.रा.सा.वा.र......में सुनाया गया।

.....01.11.21.....
उपखण्ड अधिकारी
देवली